उप्र राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक का प्रारूप तैयार

राज्य राजधानी क्षेत्र का रास्ता साफ

तैयारी

लखनऊ, विशेष संवाददाता। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) बनाने का रास्ता साफ हो गया है। इसमें लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली व बाराबंकी जिलों को शामिल किया गया है। आवास विभाग एससीआर गठन के लिए विधेयक का प्रारूप तैयार कर लिया है। इसे उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक-2023 नाम दिया गया है।

विधेयक के मसौदे पर आम लोगों और हित धारकों से आपत्तियां और सुझाव 30 नवंबर तक मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के ई-मेल **ctcpup@gmail.com** पर लिया जाएगा। इसे शनिवार से आवास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट **https://awas.upsdc.gov.in** और आवास बंधु की वेबसाइट **https://www.awasbandhu.in** पर देखा जा सकेगा। एससीआर में मौजूदा समय छह जिलों को रखा गया है।

अपर मुख्य सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने बताया कि एससीआर के गठन और इसके लिए तैयार होने वाली योजनाओं के बारे में विधेयक के प्रारूप में विस्तृत उल्लेख किया गया है। मुख्य सचिव उपाध्यक्ष और अपर मुख्य सचिव आवास पदेन सदस्य संयोजन होंगे। इसके अतिरिक्त एक कार्यकारी समिति भी होगी। इसका अध्यक्ष क्षेत्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा। इसके द्वारा क्षेत्रीय प्लान बनाया जाएगा। फंक्शनल प्लान, मास्टर प्लान, विकास योजना और प्रोजेक्ट प्लान बनाने के लिए अधीनस्थ अभिकरणों विभागों के साथ समन्वय किया जाएगा। क्षेत्रीय विकास परिषद को संबंधित विकास प्राधिकरणों को निर्देश देने का अधिकार होगा। परिषद के अंतर्गत स्थित प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र की घोषणा, मास्टर प्लान की स्वीकृति, पुनरीक्षण के संबंध में शासन के बराबर अधिकार होगा।

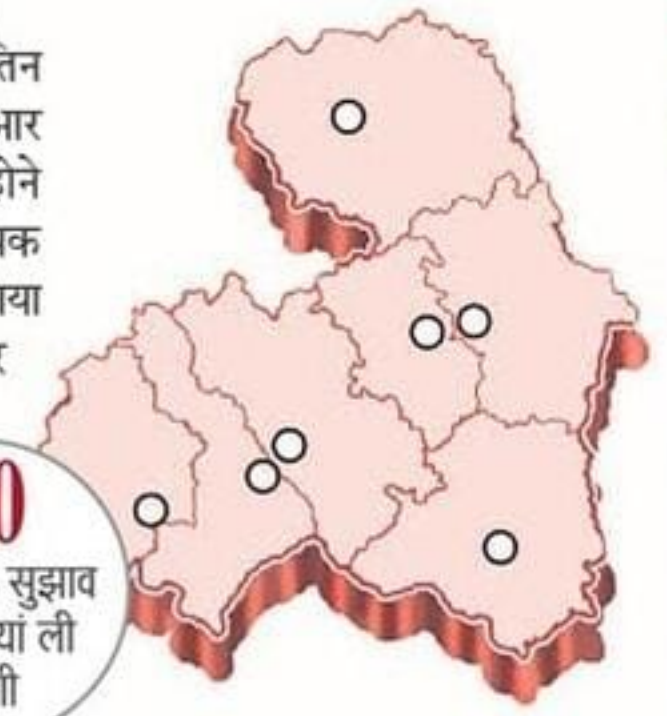

30
नवंबर तक सुझाव व आपत्तियां ली जाएंगी

राज्य राजधानी क्षेत्र में होंगे कुल छह जिले

जिला	जनसंख्या (2011)	क्षेत्रफल वर्ग किमी
लखनऊ	4589838	2528
हरदोई	4092845	5986
सीतापुर	4483992	5743
उन्नाव	3108367	4558
रायबरेली	3405559	4609
बाराबंकी	3260699	4402

एससीआर के मसौदे की खास-खास बातें

1. विधेयक के मसौदे पर आम लोगों और हित धारकों से आपत्तियां और सुझाव ई-मेल कर सकेंगे
2. एससीआर में मौजूदा समय छह जिलों को रखा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल आबादी 22941300 है
3. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में क्षेत्रीय विकास परिषद का गठन किया जाएगा, मुख्य सचिव उपाध्यक्ष और अपर मुख्य सचिव आवास पदेन सदस्य होंगे
4. फंक्शनल प्लान, मास्टर प्लान, विकास योजना और प्रोजेक्ट प्लान बनाने के लिए अधीनस्थ अभिकरणों विभागों के साथ समन्वय किया जाएगा